न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2005 / 2704 / जोधपुर.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— रामचन्द्र पुत्र सूरजमल,
2— धनराज पुत्र सूरजमल,
जाति माली, निवासी मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर।
3— रामप्यारी उर्फ रामदेवी पुत्री सूरजमल निवासी चैनपुरा मण्डोर जिला जोधपुर।
4— चुकी देवी पुत्री सूरजमल निवासी मथानिया, जोधपुर।
5— गजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरलाल निवासी मण्डोर, जोधपुर।
6— राकेश पुत्र भंवरलाल निवासी मण्डोर, जोधपुर।
7— भगवती पुत्री भंवरलाल निवासी मण्डोर, जोधपुर।
8— उषा पुत्री भंवरलाल निवासी मण्डोर, जोधपुर।
9— सोवनी देवी पुत्री सूरजमल निवासी ढाणा बेरा मण्डोर, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री आर. डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

———

उपस्थिति :—

श्री एस.पी. ओझा, विद्वान राजकीय अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री योगेन्द्र सिंह व श्री विभोर गौड़, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

———

निर्णय

दिनांक :— 03 / 01 / 2025.

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या—104 / 2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—03—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी वादी ने अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा

88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम मण्डोर की भूमि खसरा संख्या 1294 रकबा 10 बीघा पर वादीगण का कब्जा संवत् 2012 के पूर्व से लगातार चला आ रहा है तथा विवादित आराजी की बीगोडी भी उसके द्वारा जमा कराई जाती रही है। इस प्रकार वादीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। अतएव वादपत्र स्वीकार कर उनके हक में खातेदारी की घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादी अपीलार्थी ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इंकारी करते हुए वाद को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। योग्य विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए बाद साक्ष्य अपने निर्णय दिनांक 19–03–2003 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी रामचन्द्र द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 104/2004 प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2005 द्वारा वाद स्वीकार करते हुए वादी प्रत्यर्थी के हक में विवादित आराजी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर दी गई एवं प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2005 न्याय, नियम एवं रेकार्ड के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या–1 के बारे में अवैधानिक विवेचन कर निर्णय पारित किया है, क्योंकि संवत् 2012 से पूर्व बतौर खातेदार किसी भी राजस्व रेकार्ड से वादी अपना प्रकरण साबित नहीं कर पाया था, किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी भी अधिकार अभिलेख में वादी प्रत्यर्थी का नाम नहीं होते हुए, इस बारे में अंकन कर तथा अपने अधिकार क्षैत्र का दुरूपयोग

करते हुए योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने में भंयकर त्रुटि कारित की है। आगे यह भी कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में भाकर के रूप में दर्ज है तथा धारा–16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अंत में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए योग्य अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2005 को अपास्त किये जाने एवं योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2003 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया।

जबकि इसके विरोध में अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन रहा कि विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त संवत् 2012 से चला आ रहा है और बीगोडी भी उसके द्वारा जमा कराई जाती रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही विवादित आराजी पर बतौर टीनेन्ट काबिज होने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार बन चुका है, किन्तु सन् 1979 के बाद सेटलमेंट नहीं होने से राजस्व रेकार्ड में उसका नाम दर्ज नहीं हो पाया। इस कारण भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् तहसीलदार ने बेदखली हेतु नोटिस दिया, तब रेकार्ड में नाम नहीं होने बाबत् जानकारी होने पर यह दावा पेश किया। प्रत्यर्थी वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये गये, जिन्हें योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, किन्तु योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में प्रस्तुत किये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विवादित भूमि के संबंध में वादी के हक में खातेदारी की घोषणा की है, जिसमें कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं है। अतएव अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

4– उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 1 रामचन्द्र, पी.डब्ल्यू. 2 कल्याण सिंह व पी. डब्ल्यू. 3 धनजी की साक्ष्य लेखबद्ध कराई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2021–30, प्रदर्श–2 खसरा परिवर्तनशील संवत्

2027–30, प्रदर्श–3 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2037, प्रदर्श–4 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2041, प्रदर्श–5 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2043, प्रदर्श–6 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2046, प्रदर्श–7 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2047, प्रदर्श–8 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2048, प्रदर्श–9 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2049, प्रदर्श–10 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2050, प्रदर्श–11 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2051 एवं प्रदर्श–12 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2052 इत्यादित दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। अपीलार्थी पेरोकार सरकार का मुख्यतः कथन यह रहा है कि वादी रामचन्द्र वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व अर्थात् संवत् 2012 से पूर्व काश्तकार के रूप में काबिज नहीं रहा है एवं ना ही वादी द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी पेश की है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने पर by operation of law खातेदार बनने का अधिकारी है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन करने के उपरांत यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) के अनुसार एक व्यक्ति को अभिधारी होने के लिये दो शर्तें पूरी करनी होगी–प्रथमतः उसके द्वारा लगान देना या देय होना और द्वितीयतः इसके लिये कोई प्रत्यक्ष (स्पष्ट) या अन्तर्हित (अप्रत्यक्ष) संविदा होना। ये दोनों शर्ते आज्ञापक है। यह अधिनियम 15 अक्टूबर, 1955 को अर्थात् संवत् 2012 से प्रवृत्त हुआ। इस दिनांक को जो व्यक्ति अभिधारी है, उसे खातेदारी अधिकार मिलेंगे।

5– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी वादी द्वारा अपने वादपत्र के अभिवचनों के समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाये है कि कब्जेधारी व भूमिधारी के मध्य लगान भुगतान बाबत् कोई स्पष्ट या गर्भित अनुबंध था तथा लगान कब्जेधारी द्वारा देय था या दिया जाता था एवं ना ही ऐसा कोई सुदृढ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की दिनांक को विवादित भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज थे। प्रत्यर्थी वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में संवत् 2021 एवं इसके पश्चात् के खसरा परिवर्तनशील के अभिलेख प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये है, जिनके आधार

पर वादी स्वयं को विवादित भूमि पर बतौर काश्तकार दर्शित नहीं करवा सकता है। प्रत्यर्थी वादी द्वारा संवत् 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार तभी प्रदान किये जा सकते है जो अधिनियम के लागू होने की तिथि को लगान चुकाने के अनुबंध के तहत् भूमि पर आधिपत्य रखता था तथा खातेदारी अधिकार प्राप्ति के लिये कब्जे के साथ–साथ लगान भुगतान का स्पष्ट या गर्भित अनुबंध होना आवश्यक है। केवल मात्र पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। योग्य अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वाद की पुष्टि करते हुए विवादित आराजी पर प्रत्यर्थी वादी का कब्जा संवत् 2012 के पूर्व से होना माना है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि काश्तकारी सिद्ध करने के लिये कब्जे बाबत् मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तथा खातेदारी अधिकार केवल कब्जे और मौखिक साक्ष्य के आधार पर नहीं दिये जा सकते है, इसके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–13 या 15 या 19 के मूलतत्व सिद्ध होना आवश्यक है, केवल लगान जमा करा देने से कानूनन कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की दशा में ही किसी व्यक्ति को खातेदार अधिकार प्राप्त हो सकते है, जबकि यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में शुरू से गै0मु0 भाकर दर्ज होकर सिवायचक पर्वत व पहांडिया दर्ज रही है। अतः धारा–16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् भी वादीगण विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी वादी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहा, जिसे विवादित भूमि से बेदखल किये जाने हेतु समय–समय पर धारा–91 के तहत् कार्यवाही की जाकर नोटिस भी दिये गये, किन्तु उक्त समस्त तथ्यों को योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए योग्य विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण तरीके से पारित निर्णय दिनांक 19–03–2003 को अपास्त कर दिया तथा प्रत्यर्थी वादी का वाद डिक्री करते हुए उसे विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। हमारे विनम्र मत में योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय व

डिक्री दिनांक 30–03–2005 से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2003 को अपास्त करने में गंभीर तथ्य एवं विधि संबंधी त्रुटि कारित की है। अतएव अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6– परिणामतः हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–03–2005 अपास्त किया जाता है तथा योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2003 को बहाल रखा जाता है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य

c